

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2015

प्रार्थी-

श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति
राजपूत निवासी भीयाड़ तहसील
शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. ग्राम पंचायत भीयाड़ जरिये सरपंच
2. अशोक कुमार पुत्र देवाराम जाति
सुथार निवासी सुथारों का बास,
भीयाड़ तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
शिव

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 2(4)/98 दिनांक 15.10.1998 जो अप्रार्थी सं. 2 सुरेन्द्र शर्मा के नाम ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी सं. 3 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27/11/2019

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा अप्रार्थी सं. 2 अशोक कुमार के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम भीयाड़ में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 2(4)/98 दिनांक 15.10.1998 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1732.5 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में



Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर ग्राम भीयाड़ के खसरा नम्बर 306 ओरण की भूमि है। इस प्रकार ओरण की भूमि पर किसी को मकान बनाने अथवा कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा आलौच्य पट्टा प्रारम्भ से शून्य होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 ने ग्राम पंचायत भीयाड़ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में वर्षों पुराना (पीढियों से बना) मकान का पट्टा जारी करने का निवेदन किया लेकिन आलौच्य पट्टे की भूमि पर मकान बने होने के संबंध में किसी प्रकार के प्रमाण के अभाव में भी पट्टा जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत की मौका कमेटी द्वारा पीढियों का कब्जा होने की रिपोर्ट की है जिसका कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा किस नियम के तहत जारी किया गया है इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है तथा 1961 के नियमों के तहत बने प्रारूप में जारी किया गया है। अतः आलौच्य पट्टा नियम विरुद्ध एवं आरण की भूमि का होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य गलत है तथा ग्राम



Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत द्वारा जारी किया गया आलौच्य पट्टा आबादी भूमि में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है। ग्राम भीयाड़ के खसरा नम्बर 306 ओरण भूमि एवं खसरा नम्बर 299 मौके पर एकल थी तथा बीच में कोई सेढा या माठ इत्यादि सीमाचिन्ह नहीं थे। ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर 299 को आबादी भूमि मानते हुए प्रस्ताव तहसीलदार शिव को भिजवाया गया तथा इसी खसरा नम्बर 299 पर अप्रार्थी का कब्जा कई वर्षों से चला आ रहा है तथा इस पर अप्रार्थी के अलावा अन्य व्यक्तियों के मकान आदि बने हुए हैं। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा तीन पंचो प्रेमसिंह, भंवराराम व मंजू देवी की कमेटी गठित की तथा उक्त कमेटी की पूर्ण जांच एवं रिपोर्ट उपरांत आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी स्वयं एक अतिचारी हैं जिसने खसरा नम्बर 306 में रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैधानिक तरीके से दुकान निर्माण करवाया गया है, जिसके विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने उक्त सिविल वाद से ध्यान विचलित करने के उद्देश्य से यह झूठी निगरानी मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 2(4)/98 दिनांक 15.10.1998 ग्राम भीयाड़ की आबादी भूमि में मौहल्ला सुथारों का बास में अप्रार्थी के पुराने पीढीयों के मकान को विनियमितीकरण के द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए यह पट्टा जारी किया गया है। इसके उपरांत प्रार्थी के अधिवक्ता का मूल अभिकथन है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम भीयाड़ के खसरा नम्बर 306 गैर मुमकीन ओरण की भूमि का है जिस पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इस बाबत



Anshu
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी सं. 2 के भौतिक कब्जे की मौका रिपोर्ट भिन्न-भिन्न समय में तीन बार तलब की गई, जिसमें तीनो रिपोर्ट दिनांक 25.06.2018, 27.07.2018 एवं 05.10.2018 में अप्रार्थी सं. 2 के कब्जे को उक्त खसरा नम्बर 306 ओरण भूमि में नहीं पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र के जरिये आलौच्य पट्टा जारी करने में जो मुख्य अनियमितता एवं अवैधानिकता प्रकट की गई है कि यह ओरण भूमि में है, प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर बलहीन प्रतीत होती हैं। इसके अलावा प्रार्थी ने इस निगरानी प्रार्थना पत्र में कोई सारवान तथ्य अथवा अनियमितता अथवा अवैधानिकता की ओर से न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया है और न ही ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की अवैधानिकता दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसे में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 2(4)/98 यथावत बहाल रखा जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Ansh
(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर

